न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

---

(पीठासीन अधिकारी :– संजू शर्मा, आर0 ए0 एस0)

---

अपील संख्या :– 50/12 अन्तर्गत धारा 76 एल0 आर0 एक्ट

उनवान :– 1. नत्थूराम पुत्र बिडदीचन्द जाति ब्राहमण

2. रत्तीराम पुत्र बिडदीचन्द जाति ब्राहमण

3. रविन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण

4. कविन्द्र पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण

5. बसन्त कुमार पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण

6. सीताराम पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण

निवासीयान ग्राम सोहन की ढाणी तन लाडपुर तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान

:–––– अपीलांटान

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर ।

:––– रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर दिनांक 31.10.2012

---

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांटस :– श्री रामेश्वर दयाल

2. राजकीय अभिभाषक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक 26.4.17

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर द्वारा अपील संख्या 12/49/12 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.12 के खिलाफ है, जिसके द्वारा अपीलांटस की प्रथम अपील खारिज की गई है ।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का माजरा अहीर ने तहसीलदार, बानसूर को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम लाडपुर (सोहन की ढाणी) की आराजी खसरा नम्बर 532 रकबा 0.19 किस्म गैर मुमकिन जौहड में से 0.17 पर नाजायक कब्जा कर लिया है । इस पर तहसीलदार द्वारा धारा 91 एल0 आर0 एक्ट की कार्यवाही करते हुये बेदखली एवं शास्ति वसूली का आदेश दिनांक 6.3.12 पारित किया गया । इस आदेश के खिलाफ अप्रार्थी अपीलांट ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर के यहां प्रथम अपील पेश की, जो निर्णय दिनांक 31.10.12 द्वारा खारिज की गई है । अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय, अलवर के इस आदेश दिनांक 31.10.12 के खिलाफ अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया है कि विवादित आराजी पर अपीलांटान को 907 – 907 वर्ग गज के पटटे विधिवत रूप से जारी किये गये थे । ऐसी स्थिति में अपीलांटस अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आते हैं । आवंटन के बाद से ही अपीलांटस काबिज है और गुवाडे बना रखे हैं । अपीलांटस के खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही गलत तौर पर की गई है । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे ।

4. राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कहना है कि विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन जौहड है, जिस पर अपीलांटस का अतिक्रमण दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध है । इनका यह तर्क कतई मानने योग्य नहीं है कि विवादित आराजी की किस्म आबादी है और इसका पटटा इनको जारी किया गया है, क्योंकि अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में ये पटटे स्वतः ही निरस्त योग्य है । अब्दुल रहमान बनाम सरकार में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कियागया है कि गैर मुमकिन नदी, नाले, पोखर आदि की भूमि को किसी भी प्रयोजनार्थ आवंटन/नियमन नहीं की जा सकती । अपीलांटस अतिक्रमी है । अगर इनको किसी प्रकार की रिलीफ प्रदान की गई तो इससे अतिक्रमण की प्रवृत्ति को बढावा मिलेगा । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट, मौका रिपोर्ट आदि दस्तावेजों से सिद्ध है कि

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन जौहड है, जिस पर अपीलांटस द्वारा जिन्स बो कर, गुवाडे आदि बनाकर अतिक्रमण किया हुआ है । इससे सिद्ध है कि अपीलांटस अतिक्रमी है । जहां तक अपीलांटस के इस कथन का प्रश्न है कि विवादित भूमि में से उनको आबादी के पटटे जारी किये गये हैं, इस सम्बन्ध में हमारा विनम्र मत है कि अब्दुल रहमान बनाम सरकार के मामले में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि गैर मुमकिन की भूमियां किसी भी प्रयोजनार्थ आवंटित/नियमित नहीं की जा सकती है । ऐसी भूमियों पर किये गये आवंटन/नियमन स्वतः ही निरस्त योग्य है । इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार सार्वजनिक उपयोग की भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं तथा तहसीलदार द्वारा जारी पटटे भी कोई अधिकार, स्वत्व या हित सृजित नहीं करते हैं । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है ।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांटस खारिज की जाकर तहत न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.2012 यथावत रखा जाता है ।

7. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजू शर्मा)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner